

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय ज्ञापः:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2284-BHAVADIYA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & RESEARCH, N H-28 FAIZABAD LUCKNOW HIGHWAY, NEAR LOHIYA BRIDGE, FAIZABAD

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये त्वाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्थ द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

पृ०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, BHAVADIYA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & RESEARCH, N H-28 FAIZABAD LUCKNOW HIGHWAY, NEAR LOHIYA BRIDGE, FAIZABAD


 Director
 Bhavadiya Institute of
 Pharmaceutical Science and
 Research, Faizabad, U.P.


 (सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु उल्लेखित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त में अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नं-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्तर रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-


" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें मथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं०	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2764	मधुवीर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च एम०एच०-28 फौजमदार, रस्ताबाज, कटोये, निबर ज्योतिष, बिबू, पैजलाबाद।	डिप्लोमा इन फार्मसी	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०एम०ए०पी०सी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, संशोधित विनियमवली-2018 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु 60 50,150.00 प्रतिवर्ष, जो नवीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु 80-


DIRECTOR
Madhviya Institute of
Pharmaceutical Sciences and
Research, Ayodhya UP

45,000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष से अधिक अवधि तक (दो वर्षों तक) के अतिरिक्त) हेतु 20-22,500/-
 00 प्रतिवर्ष शुल्क की दर से 100/वर्ष की पाठ्य विद्या करवाई। उपरोक्त में अतिरिक्त पाठ/आवृत्तों से शुल्क के
 सम्बन्ध में सामान्यतया पर शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले आत्म-व्यय प्रणाली लागू, और अनुसूचित कार्यवाही विद्या
 नामा आलयक लेगा। कोल निदेशक समिति द्वारा सन् 2020-21 हेतु कोल का पूर्ववर्तन किया जाता है, तो
 कोल की नवीनता पर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (अथवा प्राथमिक शिक्षा अधिकारों तक पर संविधान, संस्थाओं की संघर्ष विद्या नामा)
 विनियमकाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समस्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित सामान्य को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के शिक्षा से जाने की
 स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को स्वयं-सम्पन्न पर निर्भर आत्म-व्यय के अनुसार विविध एवं संघर्षात्मक शुल्क वसूल करना होगा।
- ✓ संस्था को एज्युकेशनल/कोल/वीसीआई/वीसीआई व आगामी कर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कबाले गये विधि/विज्ञान/अभियोग/आयुर्वेद/विदेशी एवं विदेशक, प्राथमिक
 शिक्षा प्रयोग समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तक प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश कबाले गये विद्यार्थी,
 आभेदको आदेशों, विदेशी का पालन करने के दिवसे लागू होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यवाही कार्यक्रमों की संस्थाएं यदि कोल/आई. आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है
 तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं
 उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशकालय एवं प्राथमिक शिक्षा
 विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी नुकसान विद्या जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संस्था में का न्यायालय द्वारा किसी
 प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी कार्यवाही निर्मात किया जाय है तो संस्था प्रतिवृत्ति संविधान संस्था को करनी होगी।
- ✓ कोल/आई इन कार्यवाही कार्यक्रमों का संचालन करने वाली संस्थाओं को समस्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार
 द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित करने होने से पूर्व कोल/आई से अनुमोदन प्राप्त
 कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अतः प्रवेश की (कार्यान्वित) को माध्यम से अथवा संस्था
 स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नवीनतम आख्यान नियमों का अनुपालन करवा आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा,
 सम्पत्तियां, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु समस्त आवश्यक व्यय करने के साथ वैश्व होकर के संस्था में समस्त
 आवश्यक माध्यम सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित कार्यक्रमों को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति को
 समस्त उपलब्ध करवाये गये आभेदको, भूमि-भवन, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम
 को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था स्वयंसेवा का प्रयोग किसी
 अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थाले संस्था को सम्बन्धित समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ समस्त कार्यवाही का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार
 अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(200 आभेदको शिक्षा)
 सचिव

पूरांक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-2141

उप दिनांक: 15-09-2020

प्रतिवृत्ति-प्रधानाचार्य/निदेशक, भवदीया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स साइंस एण्ड रिसर्च एन/एच/20
 फर्जाबाद, लखनऊ हाईवे, नियर लॉन्गवा, तिम, फैजाबाद।


 DIRECTOR
 Institute of
 Pharmaceutical Sciences and
 Research, Ayazpur U.P.


 (200 आभेदको शिक्षा)
 सचिव

U71096/2021

उत्तर प्रदेश शासन

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 71096 /16-1099/1124/2019

संयोजक दिनांक: 15 जून, 2021

कार्योत्तर-भाग

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियंत्रण) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रावधानित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियंत्रण) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार धारा 01 कार्योत्तर आदेश संख्या-2453/2008-संलग्न-1-5-(खट्टू-48)/2008 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्तगण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियंत्रण समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते अधिसूचना संख्या- 4781/सीएस-1-14(3-1)/2014 दिनांक 27.12.2014 द्वारा उ.प्र.0 निते प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियंत्रण विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्तगण संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मातृक शुल्क एवं मातृक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यागदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षों) के लिए मातृक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षों) के लिए मातृक शुल्क एवं मातृक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यागदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षों) के लिए मातृक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आयदा प्रवर्धन अधिनियम-2005 अर्थात् उ.प्र.0 आयदा प्रवर्धन अधिनियम, 2005 की धारा-2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण के कारण फीस रद्द माफगरी को आयदा धोषित किया गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) की दूसरी लहर से बढ़ते संक्रमण के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिकोण प्रवेश और फीस नियंत्रण समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्षों) हेतु निर्धारित 'मातृक शुल्क से इतर शुल्क' तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षों) के लिए निर्धारित 'मातृक शुल्क एवं मातृक शुल्क से इतर शुल्क' को शैक्षिक सत्र-2021-22 (एक वर्ष) हेतु बरखाए रखे जाने का निर्णय लिया है।

Digitally signed by Anil Kumar
DN: cn=Anil Kumar, o=U.P. Government, ou=U.P. Government, email=anil.kumar@up.gov.in, c=IN

(आचार्य कुमार)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तारीख-

पतिलिटि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित-

1. मुख्य सचिव, डा.0 ए.0 पी.0 जे.0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विभागाध्यक्ष, संयोजक

DIRECTOR
Bhendiya Institute of
Pharmaceutical Sciences and
Research, Meerut, U.P.

File No.16-1099/1124/2019- -1-

17/1096/2021

2. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, 5050, कानपुर।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा और प्रवेश शाखा।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, विरहटा बंगला कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
6. सम्बन्धित जन्मपत्र के जिलाधिकारी।
7. सचिव, प्रवेश और मीस नियमन समिति, वासुदेवजी धीराहा, चारवाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे अपनी स्तर से सम्बन्धित संस्थानों को अवगत कराये।
8. गई प्रकृत।

15.6.21.
 (मुनील कुमार चौधरी)
 विशेष सचिव

DIRECTOR
 Bhevdya Institute of
 Sciences and
 Technology